न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 07/2019
दायर दिनांक :– 26–02–2019
निर्णय दिनांक :– 04–10–2019

अनवान

श्री महेन्द्र सिंह पिता शेष करणसिंह जाति चारण उम्र 55 निवासी लालपुर तहसील व जिला राजसमन्द

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री कैलाशचन्द्र पिता जगनाथ जाति ब्राहमण आयु 45 वर्ष निवासी लालपुर
2. श्री जुगल किशोर पिता जगनाथ जाति ब्राहमण आयु 42 वर्ष निवासी लालपुर
3. श्री प्रकाश पिता जगनाथ जाति ब्राहमण आयु 55 वर्ष निवासी लालपुर
4. श्रीमती ललिता देवी पत्नि कालुनाथ जाति ब्राहमण आयु 60 वर्ष निवासी लालपुर
5. श्रीमती निर्मला देवी विधवा लाला जाति ब्राहमण आयु 40 वर्ष निवासी लालपुर
6. श्री किशनलाल पिता उदयराम जाति गुर्जर आयु 35 वर्ष निवासी लालपुर
7. श्री जगदीश पिता गोर्वधनलाल जाति ब्राहमण आयु 68 वर्ष निवासी लालपुर
8. श्री भगवतीलाल पिता गोर्वधनलाल जाति ब्राहमण आयु 68 वर्ष निवासी लालपुर
9. श्री किशन पिता दयाराम जाति पुर्बिया आयु 65 वर्ष निवासी लालपुर
10. श्री मोहन पिता दयाराम जाति पुर्बिया आयु 35 वर्ष निवासी लालपुर
11. श्री मोहन पिता गोकल जाति गुर्जर आयु 35 वर्ष निवासी लालपुर
12. श्री भैरूलाल पिता रामलाल जाति गुर्जर आयु 35 वर्ष निवासी लालपुर
13. श्री अम्बालाल पिता उदयराम जाति गुर्जर आयु 32 वर्ष निवासी लालपुर

– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध उपतहसीलदार कुंवारिया, प्रकरण संख्या 01/2016 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 251 निर्णय दिनांक 23.01.2017

उपस्थित :–

1– श्री चावण्ड सिंह, अधिवक्ता अपीलान्ट
2– श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता

–: निर्णय :–

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । उपतहसीलदार कुवारिया द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से परे दिया गया आदेश प्रकरण सख्यां 01/2016 निर्णय दिनांक 23.01.2017 से पीडित होकर यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 के अन्तर्गत पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला-राजसमन्द

उपतहसीलदार कुवारियां का यह आदेश विधि विरूद्व एवं श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार से परे होकर काबिल निरस्त है। प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को प्रतिपरीक्षण करने एवं उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे । अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी गयी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर निगरानी को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने निवेंदन किया है कि निर्णय उपतहसीलदार कुंवारिया को तहसीलदार, राजसमंद के द्वारा क्षैत्राधिकार उपतहसील कुंवारिया का होना बताकर दिया गया आदेश विधि– विरूद्ध है क्योकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में धारा 251 में 45 दिनों तक सुनवाई का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित है। ग्राम पंचायत पीपली आचार्यान द्वारा 45 दिवस की समाप्ति से पुर्व ही कार्यवाही उप तहसीलदार कुंवारियों को दिनांक 03.11.2016 को हस्तान्तरित कर दी गई जो अवैध है क्योकि ग्राम पंचायत को कार्यवाही करने का 45 दिन के अधिकार समाप्त नहीं हुए थे। क्योकि ग्राम पंचायत ने दिनांक 20.2.2016 को सुनवाई प्रारम्भ की थी जिससे 05.12.2016 तक ग्राम पंचायत को क्षैत्राधिकार होते हुए उपतहसीलदार कुंवारिया ने सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ कर विधिक त्रुटी की है। उपतहसीलदार कुंवारिया को उक्त प्रकरण का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार विधिक अन्दर प्राप्त न होते हुए भी बिना क्षैत्राधिकार के सुनकर निर्णय पारित करने में भारी त्रुटि की है जो आदेशात्मक प्रकृति की त्रुटि है कि ग्राम पंचायत के पश्चात तहसीलदार राजसमंद को श्रवणाधिकार एवं श्रैत्राधिकार प्राप्त हो सकता था जिससे उपतहसीलदार का आदेश दुषित होकर निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध था इसके उपरान्त भी वैकल्पिक मार्ग का न तो मौका देखा गया न ही अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेख को भी पत्रावली पर नही रखा गया। माननीय राजस्व मण्डल के कई निर्णय में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि जहॉ पर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो वहा पर उक्त अधिनियम की उक्त धारा के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। विधवान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ करने की दिनांक ही अंकित नही कि गई एवं विपक्षीगण को सुनने के लिये दिनांक 26.12.2016 को उपस्थिति बाबत पुन सुचना पत्र जारी किया गया प्रार्थीगण को दिनांक 28.12.2016 को सबुत पेश करने का आदेश प्रदान किया गया। अपीलान्ट दिनांक 26.12.2016 को उपस्थित हुआ और सीधा दिनांक 09.01.2017 को साक्ष्य पेश करने की पेशी दी गई। 09.01.2017 की पेशी देने के बाद विधवान न्यायालय ने दिनांक 28.12.2016 को रेस्पोडेन्ट की साक्ष्य लेखबद्ध कर ली गई। जिसमें अपीलान्ट को प्रतिपरीक्षण करने का कोई अवसर नहीं दिया गया एवं अपीलान्ट को दिनांक 28.12.2016 की पेशी की सुचना भी नहीं दी गई निर्णय एवं पत्रावली की नकले लेने के पश्चात अपीलान्ट को उक्त सारे तथ्य ज्ञात हुए इतना ही नहीं विधवान न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2017 को फैसला लिखकर सुनाया गया कि आदेशिका भी लिख दी गई फिर काट कर जायेगा शब्द लिखा गया। व दिनांक 23.01.2017 की पेशी का कोई सुचना अपीलान्ट को नहीं दी गई जिससे 23.01.2017 को कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ एवं विधमान अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारने की अनुपस्थिति में निर्णय सुना दिया गया जिसकी

जानकारी 28.03.2017 को करने गया तो पता चला कि 23.01.2017 में ही निर्णय पारित कर दिया। जिससे उसी दिन नकले लेने का आवेदन किया गया । दिनांक 30.03.2017 को नकले प्राप्त हुई एवं अधिवक्ता से परामर्श कर अपील तैयार करवाई गई। रेस्पोडेन्ट ब्राहमण एवं गाडरी ग्राम कुंवारिया की सीमा में भवानीशंकर के खेत मेंसे होकर आते जाते रहे वही से उनका रास्ता कदमि चला आ रहा है लेकिन थोडा दुर होने के कारण अपीलान्ट के खेत में से गलत तरीके से रास्ते की मांग की एवं रेस्पोडेन्ट गुर्जर परिवार के लोग ग्राम पीपली अहिरान की चारागाह जमीन के सटमा इनके खेत स्थित है व चारागाह की भुमि से ही अपने बाप दादाओं के समय से अपने खेतो में आते जाते रहे है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में उपतहसीलदार कुवारियां द्वारा पारित आदेश विधि अनुकूल है। विधिनुसार उपतहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण में कार्यवाही की गयी है जो उसके अधिकार क्षेत्र में है। राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार एवं उपतहसीलदार का कार्य क्षैत्र का विभाजन किया हुआ है। अतः उपतहसीलदार कुवारियां द्वारा दिया गया विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के अधिववक्तागण की बहस पर मनन, विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर यह ज्ञात हुआ की आदेशिका में कांट–छाट एवं आदेश की तिथियां कमशः कमबद्ध न होकर उपर नीचे है। जैसे पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 28.12.2016 नियत है। परन्तु आदेशिका में कार्यवाही दिनांक 26.12.2016 से चालू की गई। जिसका अपीलान्ट को ज्ञान नहीं था। और इस प्रकार से न्यायालय उपतहसीलदार द्वारा पक्षकार /अपीलान्ट के सुनवाई के अधिकार को बाधित किया है, जो विधि की उपेक्षा है। उपतहसीलदार कुवारियां द्वारा अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया । अतः प्रकरण संख्या 01/2016 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 251 निर्णय दिनांक 23.01.2017 निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में मैं उक्त मामले में प्रकरण संख्या 01/2016 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 251 निर्णय दिनांक 23.01.2017 को निरस्त करते हुये पुनः उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझता हूँ। चूंकि प्रकरण में सुखाचार/सुखाधिकार के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट द्वारा वर्षो से रास्ते का उपयोग किया जा रहा है तथा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अतः मामले में पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने तक रास्ते के आवागमन में किसी प्रकार की रूकावट/ बाधा उत्पन्न नहीं की जावे एवं रास्ता चालू रखा जावे।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार, कुवारियां को रिमाण्ड कर आदेश दिया जाता है कि वे उपरोक्त आर्ब्जरवेशन को मध्यनजर रखते हुये मामले में नये सिरे से विधि अनुसार कार्यवाही की जावें तथा निर्णय तक रास्ता सुचारू रखना सुनिश्चित करें।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 04.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द